संख्या-40/2026-431-22-4-2026-1369563

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 03 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार महोबा को क्रियाशील किए जाने हेतु सुरक्षा, तलाशी, संचार उपकरणों एवं प्रशासन व प्रबन्ध व्यवस्था तथा बंदी सुविधाओं के उन्नयन हेतु विभिन्न उपकरणों मशीनों की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16701/नम-3/जेल-महोब/25-26, दिनांक 24.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला कारागार महोबा में निम्नांकित तालिका में उल्लिखित उपकरणों/मशीनों की व्यवस्था हेतु धनराशि रू0 7,35,67,255/- (रूपये सात करोड़ पैंतीस लाख सड़सठ हजार दो सौ पचपन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

क्र0	**स्वीकृत कार्ययोजना की मुख्य मदें**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत राशि**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रय उपरान्त बचत**	**वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि**
1	सीसीटीवी सर्विलांस इकाई	55389492	0	0	55389492
2	वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाई	1874773	0	0	1874773
3	सुरक्षा तलाशी उपकरण (डोरफ्रेम व हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर एस्कैनर बैगेजए व हैण्डहेल्ड सर्वलाइट)	12712350	998100	0	11714250
4	वायरलेस सेटों की व्यवस्था	1020000	0	0	1020000
5	इण्टरकॉम इकाई	800000	798960	1040	0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	कार्यालय/ई-प्रिजन कार्य हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर	829808	743633	79275	6900
7	कार्यालय प्रबन्ध व्यवस्था हेतु उपकरण तथा सामग्री	1717240	1136804	118796	461640
8	बन्दी सुविधाएं (आर०ओ० प्लाण्ट, एलईडी टेलीविजन, वाटरकूलर तथा हैवी ड्यूटी वॉशिंग मशीन)	3685900	2060700	110200	1515000
9	आधुनिक पाकशाला (उपकरण एवं मशीनों की व्यवस्था)	5137021	3804067	32954	1300000
10	चिकित्सालय साज-सज्जा सामग्री तथा उपकरण	1457233	1386998	35	70200
11	कारागार कार्यालयों व चिकित्सालय हेतु फर्नीचर	3449897	3220583	14314	215000
	योग-	**8,80,73,714**	**14149845**	**356614**	**73567255**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.11.2024 में दी गयी व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस संबंध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/ शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2. महानिरीक्षक, कारागार द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री के क्रय किये जाने के संबंध में उनकी दरों/गुणवत्ता के संबंध में स्वस्तर से सतुष्ट हो लेंगे।

3. महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हों।

4. महानिरीक्षक, कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री के मेक/मॉडल /स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

5. उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. महानिरीक्षक, कारागार प्रश्नगत प्रायोजना हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के संबंध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

8. महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री की आवश्यकता/अपरिहार्यता के संबंध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

9. महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. महानिरीक्षक, कारागार द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,35,67,255 (रुपये सात करोड़ पैंतीस लाख सड़सठ हजार दो सौ पचपन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-49-X-2026-27, दिनांक 02-6-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-40/2026-431-22-4-2026-1369563, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, महोबा।
(4) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, महोबा।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्यगयक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in